लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2720
उत्तर देने की तारीखः 09.07.2019

विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध-घुमंतु जनजातियों का कल्याण

2720. **श्री गजानन कीर्तिकरः**
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री अशोक महादेवराव नेतेः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फरवरी में घोषित विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध-घुमंतु जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु 'बोर्ड' में प्रमुख नियुक्तियां नहीं की हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किए गए विमुक्त, घुमंतु अर्ध घुमंतु और अधिसूचित जनजातियों की पहचान हेतु नीति आयोग के अंतर्गत किसी समिति का गठन किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति का क्या अधिदेश है;
(ङ) क्या सरकार का विचार इन समुदायों हेतु गठित रेन्के आयोग एवं इदाते आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास तथा कल्याण के लिए बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) के लिए प्रमुख नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

I. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दिनांक 11.03.2019 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कर दी गई है।
II. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को दिनांक 26.06.2019 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा डीडब्ल्यूबीडीएनसी के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ): जी, हां। विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों; जिन्हें राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी), इदाते आयोग के रूप में भी ज्ञात, द्वारा औपचारिक रूप से अभी तक वर्गीकृत नही किया गया है, की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(ड.) और (च): अंतरिम बजट अभिभाषण के दौरान माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में और राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी), इदाते आयोग के रूप ज्ञात, द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद दिनांक 15 फरवरी, 2019 की मंत्रिमंडलीय टिप्पणी द्वारा विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतु समुदायों (डीएनसी) जिन्हें अभी तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है, की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास तथा कल्याण के लिए बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) स्थापित करने और भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले तीन सदस्यों के साथ उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा गया था।

*****